माननीय सत्र न्यायालय

"महाराष्ट्र राज्य बनाम जे एस राणा"

1. महाराष्ट्र राज्य के मंदोवी नदी में कालरा नामक जहाज पर विराज होटल एवं कशीनों महाराष्ट्र का एक आधुनिक एवं आलीशान होटल एवं कशीनों है।
2. दो जनवरी 2017 की रात में विराज होटल एवं कशीनों में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें शहर के मशहूर एवं धनवान नागरिकों को बुलाया गया। जहाज की सबसे ऊपरी मंजिल जिसे डायमंड के नाम से जाना जाता है वहाँ पोकर खेल का एक दिन का आयोजन किया गया जिसे खेलने के लिए न्यूनतम राशि 50 लाख रूपये रखी गयी। खेल में प्रवेश मात्र उन व्यक्तियों को दिया गया जिनके पास आमंत्रण पत्र था। जिसे होटल की मालकिन श्रीमती शेफाली एवं प्रशासनिक अध्यक्ष जे एस राणा ने जारी किया था। खेल में प्रतिभागियों की संख्या 40 ही सीमित रखी गयी थी ।
3. 2 जनवरी 2017 की रात आठ बजे जब खेल की सारी तैयारियां की जा चुकी थी और इनाम में दी जाने वाली राशि डायमंड छत पर स्थिति एक विशेष तिजोरी में सुरक्षित रख दिया गया था। रात करीब 11 बजे डायमंड स्थिति तिजोरी को चार व्यक्तियों द्वारा तोडा जाता है। तिजोरी में रखी हुई राशि को वह चार व्यक्ति आठ वाटर प्रूफ बैग में पैक करते हैं और भागने की तैयारी कर रहें होते हैं। तभी अलार्म बज जाता है। आलर्म की आवाज सुनकर वह सभी व्यक्ति जहाज के डेक पर भागते हैं और राशि से भरे हुए बैग को जहाज से लगे मोटर बोट में फेंक देतें हैं । तत्पश्चात दो व्यक्ति अपने साथ लायी हुई रस्सी की सहायता से मोटर बोट में उतर जाते हैं एवं अन्य दो व्यक्ति उनके उतरने के पश्चात मोटर बोट में उतरने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इसी क्षण कशीनों के मुख्य सुरक्षाधिकारी मोहन राय वहां पहुंचते है एवं रूकने का आदेश करते हैं। अपने को बचाने के लिए उनमें से एक व्यक्ति जहाज पर उपस्थिति एक मेहमान को बंधक बना लेता है। जोकि धूम्रपान के लिए जहाज की डेक पर आया था। तभी मोहन राय चेतावनी के लिए कशीनों द्वारा दी हुयी बंदूक से हवा में फायर करते हैं। परन्तु न तो वे चोर रूकते हैं और न ही उस बंधक को मुक्त करते हैं। बंधक को बचाने के लिए सुरक्षाधिकारी मोहन राय एक व्यक्ति के घुटने पर फायर करते हैं। जब यह घटनाक्रम हो रहा होता है उसी क्षण जे एस राणा घटना स्थल पर पहुंचते है एवं दूसरे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देते हैं।
4. रात्रि 12:15 के करीब पुलिस पहुंचती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 395 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के अन्तर्गत दर्ज करती है।
5. पुलिस विवेचना के दौरान सभी गवाहों एवं अभियुक्त के बयान दर्ज करती है एवं फाइनल रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती हैं जिसमें वह पकडे गये अभियुक्त के बयान पर जे एस राणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 एवं 302 के अन्तर्गत अभियुक्त मानती है।

माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित वाद बिन्दु निम्न है।

1. क्या माननीय न्यायालय के पास इस वाद को सुनने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं।
2. क्या अभियुक्त हत्या के अपराध के लिए दायी है।
3. क्या अभियुक्त डकैती के अपराध के लिए दायी है।